(6)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
## पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 115/2020

### उनवान
### राजकुमार बनाम कृपानन्द वगै0

1. राजकुमार आयु 45 वर्ष पुत्र घड़सीराम जाति नायक निवासी अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादी

**बनाम**

1. कृपानन्द पुत्र रामचन्द्र जाति नायक निवासी अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. जयसिंह पुत्र घड़सीराम जाति नायक निवासी अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. दीपचन्द पुत्र घड़सीराम जाति नायक निवासी अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. महावीर पुत्र घड़सीराम जाति नायक निवासी अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति नायक निवासी अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
7. उप पंजीयक झुन्झुनूं।
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजाड़ी कला जरिये शाखा प्रबन्धक।

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**उपस्थित अधिवक्ता:–**

1. श्री राजेश पूनिया :– वादी की ओर से।
2. श्री रणजीत सिंह :– प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर से।

दिनांक . 24.05.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद को न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को 500/– रूपये नैका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया था कि ग्राम बास नानग तहत तहसील झुन्झुनू की कृषि भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 1.42 है0, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.97 है0 में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हक हिस्से की सीमा तक मौके पर इनके कब्जे काश्त तथा मीट्स एंड बाउंडस के अनुसार पक्षकारों की

मौजूदगी में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त परिपत्र की रोशनी में पक्षकारो के पहुच मार्ग को ध्यान में रखते हुए विधिवत बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 7 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/278 दिनांक 24.03.2022 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया है। विभाजन प्रस्ताव बाबत वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय अनुसार है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

## निर्णय

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2022 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

(8)

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

**न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू**

**पीठासीन अधिकारी:– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर:– 115 / 2020

उनवान

**राजकुमार बनाम कृपानन्द वगै0**

**दावा बाबत:– विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

दिनांक:– 24.05.2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रणजीत सिंह उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

**वाद के खर्चे**

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | स्टाम्प वकालतनामा | 36 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 26 | स्टाम्प अर्जी दावा | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | मेहनतनामा वकील | |
| मेहनतनामा वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | फीस कमिश्नर | |
| फीस कमिश्नर | 500 | बाबत इजराय हुक्मनाम | |
| बाबत इजराय हुक्मनाम | | मुतफरिक | |
| योग | 528 | | 36 |

उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)